भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
(नीति प्रभाग)
***

दिनांक: 01.01.2025

सेवा में,

भारतीय रिजर्व बैंक/सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के उद्योग/एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव

विषयः डिजीलॉकर के माध्यम से प्रस्तुत उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) को स्वीकार करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) के सत्यापन के संबंध में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को अपने एमएसएमई के रूप में दर्जे की पुष्टि के लिए यूआरसी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सर्कुलर FIDD] MSME & NFS-BC-No-3/06-02-31/2020&21 दिनांक 2 जुलाई 2020, FIDD-MSME & NFS-BC-No-4/06-02-31/2020&21 दिनांक 21 अगस्त 2020, FIDD-MSME & NFS-BC-No-13/06-02-31/2021&22 दिनांक 7 जुलाई 2021 और समय–समय पर अद्यतन के संदर्भ में। इन सर्कुलरों के अनुसार, एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण, जो आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैं, प्राथमिक क्षेत्र ऋण (PSL) के अंतर्गत वर्गीकृत होते हैं। इसके अलावा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के तहत, क्रय इकाइयों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थिति की पुष्टि की आवश्यकता होती है।

2. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY), भारत सरकार का डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म नागरिक के पंजीकरण प्रमाणपत्र या किसी अन्य प्रमाणपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खींचने की सुविधा प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार डिजीलॉकर में उपलब्ध ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मूल दस्तावेजों के समान ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं। MeiTY का डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म और एमएसएमई मंत्रालय का उद्यम पंजीकरण पोर्टल पहले से ही एपीआई के माध्यम से एकीकृत हैं, और उद्यम का यूआरसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजीलॉकर में संग्रहित किया गया है।

3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के प्रकाश में, डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को उन सभी मामलों में मान्य दस्तावेज के रूप में मानने का अनुरोध किया जाता है, जहाँ यूआरसी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, डिजीलॉकर में उपलब्ध "इलेक्ट्रॉनिक रूप" में यूआरसी को पंजीकरण दस्तावेज और भौतिक उद्यम प्रमाणपत्र के समकक्ष माना जाए।

4. इस आईटी आधारित ऑनलाइन प्रमाणपत्र सत्यापन से प्रवर्तन अधिकारियों को किसी उद्यम के विवरण की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे अनुपालन में सुधार और प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्रभावी निगरानी संभव होगी।

5. उद्यम के डिजिटल सत्यापन को स्वीकार करने से एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।

यह सचिव (एमएसएमई) की स्वीकृति से जारी किया गया है।

भवदीय
ह0/–
(पवन कुमार सिंह)
उप निदेशक

प्रतिलिपिः

1. वित्तीय सेवा विभाग
2. सार्वजनिक उपक्रम विभाग